FORM No. III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

कुमारी संध्या बनाम कुं भवि हारी

किस्म मुकदमा 88,89,90,53 नं. 124 सन् 24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/9/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबत बालिग होने से जर्ये वली माता समाप्त किया जाकर सुनवाई वास्ते पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी की ओर से निवेदन किया गया है कि उक्त घोषणा व बंटवारे का वाद जर्ये वली पेश किया गया है परन्तु वादीगण अब बालिग हो गये है वाद की सुनवाई पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से जर्ये वली माता के स्थान पर स्वयं के नाम से सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त वाद की सुनवाई जर्ये वल माता के स्थान पर वादीगण बालिग होने से स्वयं के नाम से वाद की सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया गया है और ना ही बहस हेतु उपस्थित हुये है। वादीगण की ओर से उक्त घोषणा व बंटवारे का वाद जर्ये वली दिनांक 02.04.2012 को पेश किया गया है। दिनांक 02.04.2012 को वादीगण नाबालिग थे जिस कारण से उक्त वाद जर्ये वली माता पेश किया गया था। चूंकि वादीगण वर्तमान में बालिग हो गये है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत बालिग होने से जर्ये वली माता समाप्त किया जाकर सुनवाई वास्ते स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।	